पत्र संख्या-स्था-5(ख) ज्येष्ठता सूची (लिपिक संवर्ग)//I/540314/2026//राज्य कर

कार्यालय आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश,
(स्थापना अराजपत्रित अनुभाग)
लखनऊ:: दिनांक::08-04-2026

समस्त संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक)
राज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
(प्रयागराज सम्भाग ए/बी, वाराणसी सम्भाग ए/बी/सी, आजमगढ, मथुरा, एवं मुरादाबाद सम्भाग ए/बी को छोडकर)

कृपया मुख्यालय के पत्र संख्या-5313 दिनांक-18-02-2026 का सन्दर्भ ग्रहण करें जिसके माध्यम से अपेक्षा की गयी है कि दिनांक 31-12-2024 तक के नियुक्त 99 कनिष्ठ सहायकों की संकलित सूची का सम्भाग/ जनपद स्तर पर भली-भांति परीक्षण करा लिया जाये कि दिनांक 31-12-2024 तक के मौलिक रुप से नियुक्त किसी कनिष्ठ सहायक का नाम सम्मिलित करने से रह तो नहीं गया है अथवा यदि किसी कार्मिक के सम्बन्ध में अंकित विवरण त्रुटिपूर्ण दर्शाया गया हो तो उसके सम्बन्ध में अभिलेखों से सत्यापित विवरण सम्बन्धित साक्ष्य की प्रमाणित प्रति अथवा सम्बन्धित कर्मचारी से प्राप्त आपत्ति प्रत्येक दशा में दिनांक 06-03-2026 तक मुख्यालय को उपलब्ध करा दिया जाये परन्तु अधिकांश सम्भागीय कार्यालयों द्वारा अपेक्षित वांछित सूचना/ आपत्ति उपलब्ध नहीं करायी गयी है ।

अत: आपको निर्देशित किया जाता है कि मुख्यालय के उक्त पत्र दिनांक-18-02-2026 द्वारा प्रकाशित सूची सम्बन्धित कार्मिकों को अवलोकित कराते हुए प्राप्त आपत्ति प्रत्येक दशा में दिनांक 15-04-2026 तक मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें यदि किसी सम्भाग स्तर पर कोई आपत्ति न हो तो इस आशय का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये कि सम्भाग स्तर पर दिनांक 01-07-2021 से दिनांक 31-12-2024 तक नियुक्त/ कार्यरत कार्मिको को सूची का अवलोकन करा दिया गया । उक्त अवधि में नियुक्त कोई भी कर्मचारी सूची में सम्मिलित किया जाना शेष नहीं है । यदि निर्धारित समयावधि में वांछित सूचना/ आपत्ति प्राप्त नहीं होती है तथा बाद में कोई त्रुटि प्रकाश में आती है तो इसके लिये सम्बन्धित संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक)/ आहरण वितरण अधिकारी कार्यालय के अधिकारी/ कर्मचारी स्वयं उत्तरदायी होंगे।

Digitally signed by
SUNIL KUMAR VERMA
Date: 08-04-2026
13:38:41

182

(सुनील कुमार वर्मा)
अपर आयुक्त (प्रशासन) राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

श्रीमती पूर्णिमा
कृपया आवश्यक कार्यवाही करें।

दिनांक 09-04-26

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक उक्त ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- समस्त जोनल अपर आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश (जोन प्रयागराज व जोन वाराणसी प्रथम को छोडकर) को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उकत्सूचना समयार्न्तगत मुख्यालय उपलब्ध कराने हेतु सम्बन्धित को निर्दशित करने का कष्ट करें ।

2- संयुक्त आयुक्त (आई०टी०) राज्य कर, मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु ।

3- समस्त आहरण वितरण अधिकारी, राज्य कर उत्तर प्रदेश ।

Digitally signed by
RAVI SHEKHAR SINGH
Date: 08-04-2026
15:25:26

(रवि शेखर सिंह)

संयुक्त आयुक्त (स्था0अराज0) राज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ ।